Date : 24th FEB., 2017 Place : HAPUR (UP)Total Page(s) 3

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र

To,
ToT

Central Public Information Officer,

Reserve Bank of India,

RIA Division,

Central Office Builidng,

21st Floor,

Shahid Bhagat Singh Marg, **Mumbai – 400 001**

आवेदक (Applicant)

रविंद्र कुमार अग्रवाल
मकान संख्या - 7-14 / 837, मधुबन टेलर के सामने,
गाँधी गंज, हापुड़- 245 101 (उत्तर प्रदेश)
Mobile : 999 73 79 288 / raviritu1@gmail.com

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र

Dear Madam / Sir,

माननीय प्रधानमंत्री जी के नोटबंदी के आदेश के बाद से डिजिटल लेन-देन काफ़ी बढ़ गया है। मै स्वम भी अपना लेन-देन डिजिटल माध्यम से कर रहा हूँ।

मेरी एक छोटी से दुकान है। नकद में लेन-देन बहुत कम कर दिया है किंतु फ़िर भी व्यवहार में नकद रुपयों में लेन -देन करना ही पड़ता है।

पिछले कुछ दिनों में जो नये 2000 रुपये और 500 के नोट आये है उन पर बहुत से लोगों ने पेन से लिख दिया है जैसे बहुत से लोग अपना नाम या नोटो की संख्या आदि लिख देते है।

मेरे पास भी ऐसे 2000 रुपये के और 500 के नोट हैं जिन पर पेन से लिखा हुआ है। ऐसे नोट बैंक भी लेने से मना कर रहा है।

इसी संदर्भ में आपके समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005** के तहत एक आवेदन प्रस्तुत है।

आपसे अनुरोध है कि मुझे निम्न सूचनायें उपलब्ध कराने की कृपा करें।

1. जिन नये जारी किये गये नोटो पर यदि किसी ने पेन से लिख दिया है क्या ऐसे नये नोट बैंक खाते में भी जमा नही किये जा सकते ?

2. क्या ऐसे नोटो को का प्रयोग करना गैर कानूनी है?

3. भारतीय रिजर्व बैंक के इस सम्बंध में क्या नियम हैं?

4. क्या ऐसे नोट को मेरा बैंक (जहाँ मेरा बचत खाता है) लेने से मना कर सकता है?

5. यदि लिखे गये नये नोटो को बैंक में भी जमा नही किया जा सकता तो ऐसे नये नोटो का क्या किया जा सकता है?

यदि यह सूचना आपके विभाग से सम्बंधित नहीं है अथवा किसी अन्य विभाग से सम्बंधित है अथवा किसी अन्य अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आती है तो आपसे प्रार्थना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005* की धारा *6(3)* के तहत सम्बंधित विभाग या सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषित करने की कृपा करें।
धन्यवाद ।

रविंद्र कुमार अग्रवाल
मकान संख्या - 7-14 / 837,
मधुबन टेलर के सामने,
गाँधी गंज, हापुड़- 245 101 (उत्तर प्रदेश)
Mobile : 999 73 79 288 / raviritu1@gmail.com

संलग्न **1.** सूचना का आवेदन शुल्क रूपये **10 (RTI Fee paid ONLINE)**

भारतीय रिजर्व बैंक

मुद्रा प्रबंध विभाग

Application under the Right to Information Act, 2005

RIA No.RBIND/R/2017/50740 - श्री रवीद्र कुमार अगरवाल

No.	सवाल	जवाब
1.	जिन नये जारी किये गये नोटोंपर यदि किसी ने पेन से लिख दिया है क्या ऐसे नये नोट बैंक खाते में भी जमा नहीं किये जा सकते?	नोटोंपर नहीं लिखना चाहिए, जिससे नोटोंकी सुरक्षा विशेषताएँ प्रभावित हो सकती है।
2.	क्या ऐसे नोटोंका प्रयोग करना गैर कानूनी है?	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा2)f) में अभिप्रेत यह सूचना नहीं है।
3.	भारतीय रिजर्व बैंक के इस सम्बंध में क्या नियम है?	इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पूर्व में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दि .दिसंबर31 , 2013 को स्पष्टीकरण जारी किया गया था (बैंक नोटोंपर लिखने के बारे में स्पष्टीकरण) जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के अंतर्गत उपलब्ध है
4.	क्या ऐसे नोट को मेरा बैंक) जहाँ मेरा बचत खाता है (लेने से मना कर सकता है?	रिजर्व बैंक द्वारा बैंको को ऐसा कोई अनुदेश जारी नहीं किया है।
5.	यदि लिखे गये नये नोटों कों बैंक में भी जमा नहीं किया जा सकता तो ऐसे नये नोटोंका क्या किया जा सकता है?	ऐसे नोट बैंक में जमा किये जा सकते है।

(Pankaja Kumar Nayak)
Chief Public Information Officer
March 24, 2017

दैनिक जागरण
विक्रम संवत-2074
नववर्ष मंगलमय हो

पेन से लिखे नोट भी होंगे जमा, न लिखे तो बेहतर

जागरण संवाददाता, हापुड़: अब आपने नोट पर पेन से कुछ लिख रखा है और बैंक उन्हें जमा करने से मना कर रहा है तो टेंशन मत लें। भारतीय रिजर्व बैंक से सूचना के अधिकार के तहत पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। जवाब में बताया गया है कि पेन से लिखे नोट बैंक में जमा हो सकते हैं।

मोहल्ला गांधी गंज निवासी रविंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी के आदेश के बाद से डिजिटल लेन-देन काफी बढ़ गया था। वह स्वयं भी लेन-देन डिजिटल माध्यम से कर रहे है। पिछले दिनों दो हजार व पांच सौ रुपये के नए नोट बाजार में आए हैं। इन नोटों पर बहुत से लोगों ने पेन से लिख दिया है। बहुत से लोगों ने इन नोटों पर अपना नाम, नोटों की संख्या आदि लिख दी है। उसके पास भी दो हजार और पांच सौ के ऐसे ही कुछ नोट थे, जिन पर पेन से लिखा हुआ था। जब वह बैंक में इन नोटों को जमा करने के लिए गया तो बैंक ने रुपये जमा करने से मना कर दिया था। इसके बाद उसने कुल पांच बिंदुओं पर भारतीय रिजर्व बैंक से जानकारी मांगी थी।

सूचना का अधिकार

- युवक ने आरटीआइ के माध्यम से मांगी सूचना
- बैंक द्वारा पांच विंदुओं पर दी जानकारी से चला पता

आरटीआइ के माध्यम से पीड़ित ने पूछा था कि जिन नए नोटों को जारी किया गया है और उन पर किसी ने पेन से लिख दिया है तो क्या ऐसे नोट बैंक खाते में जमा नहीं किए जा सकते। इस पर आरबीआई ने जवाब दिया कि नोट पर नहीं लिखना चाहिए, जिससे नोट की सुरक्षा विशेषताएं प्रभावित हो सकती है। यदि लिखे गए नए नोटों को बैंक में भी जमा नहीं किया जा सकता है तो ऐसे में नए नोटों का क्या किया जा सकता है। जिसका जवाब मिला कि ऐसे नोट बैंकों में जमा किए जा सकते हैं।